रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 1997/वैशाख 27, 1919
No. 88] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1997/VAISAKHA 27, 1919

मंत्रिमंडल सचिवालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 मई, 1997

राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना

सं. 47/1/4/93-सी.ए.3/4 (खण्ड-4):— भारत, रासायनिक हथियार समझौता के 130 मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। यह 14 जनवरी, 1993 को पेरिस में हुआ था। इस समझौते के अनुसार , सदस्य देशों द्वारा भेदभाव रहित प्रक्रिया के माध्यम से सभी रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, स्थानान्तरण, उपयोग और भण्डारण करना निषेध है। तथापि औद्योगिक, कृषि अनुसंधान, चिकित्सा, भेषजीय और शान्तिपूर्ण प्रयोजनों सहित गैर-प्रतिबंधित उपयोग के लिए विषैले रसायनों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, स्थानान्तरण और उपयोग की अनुमति है। सदस्य राष्ट्र, घोषणाएं तथा स्थल-निरीक्षण एवं चैलेंज निरीक्षण करके रासानिक हथियार समझौता से संबंधित रसायनों के बारे में नियमित और समयबद्ध रूप से आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय को भेजने के लिए भी बाध्य हैं। यह समझौता 65 देशों के अनुसमर्थन से 29-4-1997 से लागू हुआ है।

2. अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सदस्य राष्ट्र रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन और अन्य संबंधित राष्ट्रों के साथ प्रभावी संपर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने हेतु एक राष्ट्रीय प्राधिकरण नामित या स्थापित करना होगा।

3. भारत सरकार ने राष्ट्रीय हथियार समझौते का अनुसमर्थन कर दिया है। इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राष्ट्रीय प्राधिकरण गठित किया जाए। यह राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन तथा अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ संपर्क के लिए राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के साथ-साथ आंकड़े एकत्र करने, घोषणा दायित्वों को पूरा करने, सुविधा समझौतों के लिए बातचीत करने , रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन निरीक्षणों का समन्वय करने, राष्ट्रीय निरीक्षकों तथा उद्योग कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करने, व्यापारिक गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, घोषणाओं की संगतता, यर्थाथता एवं पूर्णता की जांच करने, रासायनिक हथियार समझौते से संबंधित क्रियाकलापों में लगी इकाइयों के पंजीकरण आदि के लिए उत्तरदायी होगा। राष्ट्रीय प्राधिकरण को , इसके कार्यों के निर्वहन के लिए, कानून बनाकर समुचित रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

4. राष्ट्रीय प्राधिकरण का प्रमुख एक अध्यक्ष होगा जिसकी सहायता के लिए एक उपयुक्त तकनीकी सचिवालय होगा जो विविध कार्यों को देखेगा। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति इस प्राधिकरण के कार्यों पर नजर रखेगी। सचिव (रसायन और पेट्रो रसायन) , विदेश सचिव, सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास), रक्षा सचिव तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष असके अन्य सदस्य होंगे।

5. राष्ट्रीय प्राधिकरण इस आदेश के जारी होने की तारीख से तुरंत कार्य करना शुरू कर देगा।

बिजय चटर्जी, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

RESOLUTION

New Delhi, the 5th May, 1997

ESTABLISHMENT OF NATIONAL AUTHORITY

No. 47/1/4/93-CA. III/IV (Vol. 4) :— India is one of the original 130 signatories to the Chemical Weapons Convention (CWC) which concluded on 14th January, 1993 in Paris. According to the Convention, the development, production, acquisition, transfer, use, and stockpiling of all chemical weapons by Member-States is prohibited, through a non-discriminatory process. However, development, production, acquisition, transfer and use of toxic chemicals for non prohibited use including industrial, agricultural, research, medical, pharmaceutical and peaceful purposes is permitted. Member-States are also under obligation to regularly report data in respect of chemicals related to CWC on a continuous and timebound basis to the International Secretariat through declarations and on site inspections on a routine basis as well as challenge inspections. The treaty has come into force on 29-4-1997 after ratification by 65 nations.

2. To fulfil its obligations, each State Party has to designate or establish a National Authority to serve as the national focal point for effective liaison with Organisation for Prohibition of the Chemical Weapons (OPCW) and other State Parties.

3. The Government of India has ratified the CWC. In order to fulfil its obligations under the Convention, it has been decided to set up a National Authority under the administrative control of the Cabinet Secretariat. The National Authority besides serving as a national focal point for liaison with OPCW and other State Parties will also be responsible for the collection of data, fulfilling of declaration obligations, negotiating facility agreements, co-ordinating OPCW inspections, providing appropriate facilities for training national inspectors and industry personnel, ensuring protection of confidential business information, checking declarations for consistency, accuracy and completeness, registration of entities engaged in activities related to CWC etc. For carrying out its functions, the National Authority will be suitably empowered by enacting a legislation.

4. The National Authority will be headed by a Chairman who will be supported by a suitable Technical Secretariat to look after the various functions. A High Level Steering Committee under the Chairmanship of Cabinet Secretary with Secretary (Chemicals and Petrochemicals), Foreign Secretary, Secretary, Defence Research & Development, Defence Secretary and Chairman, National Authority as its other members, would oversee the functions of the National Authority.

5. The national Authority will start functioning immediately with effect from the date of this order.

B. CHATTERJEE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997